

(210)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: 13(140)-नगरीय विकास, 30.10.2012

दिनांक: 30.10.2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2011 के अंतर्गत आने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र/प्लांट स्थापित किए जाने हेतु उक्त नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रीमियम दरों की 10 प्रतिशत राशि वसूल किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग/ऊर्जा/वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
6. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/संबंधित अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
9. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
10. रक्षित पत्रावली।

(आराधक/पार्षक)

उप शासन सचिव-द्वितीय